

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 02, शुक्रवार, शाके 1948- जुलाई 24, 2026 Sravana 02, Friday, Saka 1948- July 24, 2026	

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुट्टियों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियों।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

कार्यालय आदेश

जयपुर, जुलाई 21, 2026

संख्या एफ-7(38)रालसा/संस्था/पी.एल.ए. सदस्य नियुक्ति/2026/527 :- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22(बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के तहत राजस्थान सरकार, विधि (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर की आज्ञा संख्या पं.8(7) विधि-2/विरसं.(39)/2002पार्टII-52508 दिनांक 20.07.2026 द्वारा निम्नलिखित स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवाएं) के सदस्य हेतु नाम निर्देशन (Nomination) के अनुसार नाम निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति के कार्यग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की कालावधि या 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पूर्व हो) के लिए इस संबंध में प्रभावी नियमों के अध्याधीन एतद्वारा नियुक्ति की जाती है:-

क्र.स.	जिला न्यायक्षेत्र स्थायी लोक अदालत	नियुक्ति हेतु चयनित व्यक्ति का नाम (सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री)	अन्य विवरण
1	2	3	4
1	दौसा	पूनम शर्मा	अधिवक्ता
2	जयपुर जिला	प्रीति भण्डारी	अधिवक्ता
3	झालावाड़	भूपेन्द्र सिंह शेखावत	अधिवक्ता

इस आदेश द्वारा नियुक्त स्थायी लोक अदालत के सदस्य को फीस व अन्य सुविधायें The Permanent Lok Adalat (Other Terms and Conditions of Appointment of Chairman and other persons) Rules, 2003 (As Amended) तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश /स्वीकृतियों के अनुरूप देय होगी।

उपरोक्त सारणी में कॉलम संख्या 03 में अंकित व्यक्तियों को इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा उनकी नियुक्ति समाप्त समझी जावेगी।

आज्ञा से,

हरि ओम अत्री,

सदस्य सचिव,

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।